अनुसूची 14--फारम सं०--562।

आदेश—पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक—1941 का नियम 129)

आदेश—पत्रक -- ....ता०..................................से..................................तक

जिला— लखीसराय, वाद संख्या :--65/2015—16 सन् 2015

केश का प्रकार :— समपहरण वाद, राज्य बनाम रामचन्द्र साव

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
27.01.2016	पुलिस अधीक्षक, लखीसराय का पत्रांक—3839/सी0आर0, दिनांक—15.12.2015 द्वारा लखीसराय थाना कांड सं0- 757/15 दिनांक—06.12.2015 के अंतर्गत जप्त घरेलू गैस सिलेन्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा—6A के तहत समपहरण करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, लखीसराय के आवेदन दिनांक—06.12.2015 में उल्लेख है कि दिनांक—06.12.2015 को अपराह्न 09:00 बजे श्री रामचन्द्र साव, पे0—अर्जुन साव, ग्राम/मो0—थाना चौक, पोस्ट व थाना व जिला--लखीसराय की चलंत अंडा—आमलेट की दुकान(ठेंला पर) का औचक निरीक्षण किया एवं अनुदानित घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग करते हुए पकड़ा गया। सरकार द्वारा अनुदानित दर पर घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग करना अवैध एवं गैर कानूनी है। जब्त गैस सिलेन्डर एवं अन्य सामग्री को लखीसराय थाना की अभिरक्षा में रखा गया है। स्पष्ट है कि चलंत अंडा—आमलेट(ठेंला पर) अण्डा बेचने के लिए सरकार द्वारा अनुदानित गैस सिलेन्डर का अवैध रूप से उपयोग किया जाता है, जो अवैध एवं गैर कानूनी है। अतः रामचन्द्र साव, पे0—अर्जुन साव, ग्राम/मो0—थाना चौक, पोस्ट व थाना व जिला--लखीसराय को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत धारा--7 के अन्तर्गत कार्रवाई करने का अनुरोध पुलिस अधीक्षक, लखीसराय द्वारा किया गया है। उपर्युक्त तथ्य जो संलग्न प्राथमिकी के आधार पर जप्ती सूची तथा पुलिस अधीक्षक, लखीसराय की अनुशंसा पर सामने आये हैं, यह स्पष्ट है कि नामजद अभियुक्त रामचन्द्र साव, पे0--अर्जुन साव, ग्राम/मो0--थाना चौक, पोस्ट व थाना व ज़िला--लखीसराय द्वारा The Prevention of Black Marketing Maintainance of Supply Essential Commodity Act. 1980 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा—7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया जाना प्रमाणित है। चूँकि जप्त घरेलू गैस नष्ट न हो, अतः अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को EC Act. 1955 amended Bihar Act. 9 of 1978 के 6(A)(2) के तहत आदेश दिया जाता है कि जप्त घरेलू गैस को नीलाम कर प्राप्त राशि उचित शीर्ष में जमा करते हुए प्रतिवेदन दें। पुनः आदेश दिया जाता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(B) के तहत अभियुक्त को नोटिश निर्गत करें कि क्यों नहीं जप्त घरेलू गैस, आवश्यक वस्तु अधिनियम 6(A) के तहत समपहरण कर ली जाय। अभिलेख दिनांक—02.03.16 को उपस्थापित करें। जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय। ज्ञापांक—85 विधि, दिनांक—29-01-16 प्रतिलिपि :--अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, लखी0/पुलिस अधीक्षक, लखी0/ अनुमंडल पदाधिकारी, लखी0 तथा थाना प्रभारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि :— जिला सूचना विज्ञान पदा0, लखी0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय।	